



उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग

हरिद्वार

पिन कोड-249404

पत्रांक सं०- 176/आई0टी0 अनुभाग/2025-26

दिनांक : 14.01.2026

कोटेशन दरें लेने हेतु कार्यालय सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आयोग स्थापना की रजत जयंती (25वीं वर्षगांठ) समारोह के आयोजन में प्रायोजित कार्यक्रमों के अंतर्गत आयोग की एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म “Highlighting The Commission’s Journey, Evolution And Achievements Since Its Inception” (अवधि 04-05 मिनट) का निर्माण किया जाना है। उक्त कार्य हेतु इच्छुक अनुभवी फर्म अपने लैटर पैड पर बंद लिफाफे में दरें रजिस्टर्ड डाक/स्पीड पोस्ट व आयोग काउण्टर पर **दिनांक 14.01.2026 से 30.01.2026 तक** आयोग कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जो कि उसी दिन अपराह्न 12:00 बजे आयोग क्रय/कार्य समिति के समक्ष खोली जाएगी। उक्त कार्य हेतु निम्नलिखित दस्तावेज आवश्यक हैं:-

- फर्म/कम्पनी प्रोफाइल, पंजीकरण प्रमाण-पत्र, पैन कार्ड, जीएसटी पंजीकरण।
- एजेंसी उत्तराखंड सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग (DIPR) उत्तराखंड में विधिवत रूप से एम्प्लॉयड होनी चाहिए। (प्रमाण पत्र की स्व-प्रमाणित प्रति अनिवार्य)
- फर्म/एजेंसी को किसी सरकारी विभाग, आयोग, बोर्ड या सार्वजनिक संस्थान अथवा निजी संस्थाओं के लिए संगठन की 10 वर्ष या उससे अधिक की विकास यात्रा पर आधारित डॉक्यूमेंट्री या कॉर्पोरेट फिल्म निर्माण का पूर्व अनुभव होना चाहिए, जिसमें संवेदनशील, तथ्यात्मक एवं आधिकारिक कंटेंट निर्माण का व्यावहारिक अनुभव सम्मिलित हो तथा नीति, प्रशासनिक संरचना एवं सार्वजनिक उत्तरदायित्व की स्पष्ट समझ परिलक्षित होती हो। इसके लिए संबंधित कार्यादेश, कार्य पूर्णता प्रमाण-पत्र एवं वीडियो लिंक प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
- फर्म के पास उच्च गुणवत्ता वाले कैमरे, पेशेवर वीडियो सम्पादन सॉफ्टवेयर, वॉयस-ओवर एवं बैकग्राउंड म्यूज़िक की सुविधा, हिन्दी/अंग्रेज़ी सबटाइटल की व्यवस्था तथा विभागीय अनुमति के अधीन ड्रोन शूटिंग की तकनीकी क्षमता उपलब्ध होनी चाहिए तथा किसी तृतीय पक्ष पर पूर्णतः निर्भर नहीं होना चाहिए। (स्व-घोषणा पत्र आवश्यक)

- फिल्म फुटेज और म्यूजिक के कॉपीराइट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से संबंधित नियमों और कानूनों का पालन करना फर्म का दायित्व होगा और इस संबंध में विभाग का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।
- फर्म को अंतिम रूप से अनुमोदित फिल्म की मास्टर प्रति पेन ड्राईव/हार्ड डिस्क में विभाग को उपलब्ध करानी आवश्यक होगी। फिल्म का प्रसारण चैनलों में किए जाने हेतु फर्म द्वारा फिल्म का हाईरेजेल्यूशन क्लाउड लिंक भी उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा। इसके लिए विभाग द्वारा अलग से कोई भुगतान नहीं किया जाएगा।
- फर्म को भुगतान सभी टैक्स/शुल्क की कटौती कर नियमानुसार किया जाएगा, जिसके लिए पैन नम्बर व ई-पेमेन्ट से संबंधित अभिलेख उपलब्ध कराने आवश्यक होंगे।
- किसी भी प्रकार के विवाद के लिए न्याय क्षेत्र हरिद्वार होगा।
- एजेंसी को सरकारी स्वीकृति प्रक्रिया, चरणबद्ध समीक्षा एवं समयबद्ध निष्पादन (Timeline-bound Execution) का पूर्व अनुभव होना चाहिए, जिससे परियोजना निर्धारित समयावधि में पूर्ण की जा सके।

-Sd/
(अशोक कुमार पाण्डेय)
सचिव